न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47/2023

1 ईशवंती आयु 42 साल पत्नी रामभरोस जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ललीता देवी पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुनीता पत्नी विक्रय सिंह जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये भू—लैण्ड अधिकारी (तहसीलदार खेतड़ी) तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.10.2022
बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनू दावा
ललीता बनाम सुनिता वगै. दावा खाता विभाजन एंव
स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 03/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

अपील संख्या 48/2023

1 ईशवंती आयु 42 साल पत्नी रामभरोस जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ललीता देवी पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 सुनीता पत्नी विक्रय सिंह जाति अहीर निवासी हाल रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये भू–लैण्ड अधिकारी (तहसीलदार खेतड़ी) तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 09.02.2023
बअदालत उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनू
दावा ललीता बनाम सुनीता वगै. दावा खाता विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 03/2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्रीमती किरण बियाला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार जेवरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 17.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 व 09.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 385 वाके ग्राम रवां तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्राथमिक डिक्री की अपील धारा 5 व अन्तिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पतासी देवी से खाता संख्या 163 के खसरा नम्बर 385 में रकबा 1.50 हैक्टेयर दिनांक 29.05.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय पर कब्जा प्राप्त किया व नामान्तकरण दर्ज करवा लिया इस प्रकार खसरा नम्बर 385 रकबा 0.50 हैक्टेयर में बहैसियत खातेदार काश्तकार है व अपने क्रय किये हिस्से पर शान्ति पूर्वक काबिज है। इस पर बिन्दु पर गौर नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित करने में अहम कानूनी भूल की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि... सीकर * सत्यमेव जयते

है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने कय किये हिस्से पर ही भूमि की सुरक्षा हेतु तारबन्दी की जो अपनी भूमि पर करने को स्वतंत्र है अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने को स्वतंत्र है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सदभावी केता होने से उंपयोग व उपभोग करने को स्वतंत्र है। इस बिन्दु पर गौर नहीं कर निर्णय व डिकी पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गृहिणी एवं महिला है जो बेहद शान्त स्वभाव की है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी कय की भूमि पर भूमि की सुरक्षा तारबन्दी की तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके परिवार वालो ने लड़ाई झगड़ा किया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपनी कय की गई स्वामित्व की भूमि पर कुछ भी करने को स्वतंत्र है। इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने उक्त दावा में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर भी वगैर गौर किये निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर व सहमति नहीं थी तथा न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार खेतड़ी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट को सूचित किया। रेस्पोडेन्ट/वादी नम्बर 1 ने बंटवारा विभाजन की आड़ की में पटवारी से मिली भगत कर व सांठ गांठ कर बंटवारा विभाजन में अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुए गलत रास्ता दर्ज करवाया है जो कानूनन विरूद्ध पत्रावली होने के कारण खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्राथमिक डिकी जारी की गई है। इस प्राथमिक डिकी के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर